रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012021-224719
CG-DL-E-27012021-224719

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 27, 2021/माघ 7, 1942
No. 34] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27, 2021/MAGHA 7, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

जांच समाप्ति

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2021

विषय : तुर्की के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''सोडा ऐश'' के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की समाप्ति ।

क. प्रस्तावना :

फा. सं. 6/38/2019-डीजीटीआर.— 1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी सीमाशुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए मै. डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, मै. आरएसपीएल लिमिटेड और मै. जीएचसीएल लिमिटेड (जिन्हें आगे आवेदक कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें तुर्की (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''सोडा ऐश'' (जिसे आगे विचाराधीन उत्पाद या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित सब्सिडीरोधी जांच शुरू करने और सब्सिडीरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है ।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर नियम 6 के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/38/2019-डीजीटीआर दिनांक 2 मार्च, 2020 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी ताकि कथित सब्सिडी की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और सब्सिडीरोधी शुल्क/प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. प्राधिकारी ने संबंधित नियम के उपनियम (5) के अनुसार जांच की शुरूआत करने से पहले वर्तमान सब्सिडीरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में में संबद्ध देश के दतावास को अधिसूचित किया।

4. प्राधिकारी ने सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी करार के अनुच्छेद-13 के अनुसार स्थिति को स्पष्ट करने और एक परस्पर सहमत समाधान निकालने के उद्देश्य से तुर्की की सरकार को विचार-विमर्श हेतु आमंत्रित किया। यह विचार-विमर्श 11 फ़रवरी 2020 को हुआ था जिसमें तुर्की सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

5. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क/सब्सिडीरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 2 मार्च, 2020 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

6. प्राधिकारी ने दिनांक 2 मार्च, 2020 की जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की एक-एक प्रति संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों को भेजी तथा उनसे विहित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।

7. प्राधिकारी ने संबंधित नियमावली के नियम 7(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति प्रदान की थी।

8. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से उनके देश के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ दूतावास को भी भेजी गई थी।

9. प्राधिकारी ने ऐसी विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के संबंध में संगत तथ्य/सूचना मंगाने के लिए संबद्ध देश की सरकार को प्रश्नावलियां भेजी थीं जिनसे सरकार द्वारा प्रतिसंतुलन योग्य लाभ दिया जा सकता हो।

10. जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना और सूचना के उत्तर में तुर्की की सरकार, संबद्ध देशों से निर्यातकों/उत्पादकों तथा आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर देकर प्राधिकारी को जवाब दिया था।

11. प्राधिकारी ने नियम 7(6) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने हेतु अवसर देने के लिए 23.11.2020 को एक मौखिक सुनवाई आयोजित की थी।

ग. घरेलू उद्योग से प्राप्त अनुरोध

12. याचिकाकर्ता ने अपने पत्र के माध्यम से 21 जनवरी, 2021 को नामित प्राधिकरण को नई जांच अवधि के साथ फिर से जमा करने की स्वतंत्रता के साथ उनकी याचिका को वापस लेने की बात कही है और तदनुसार नियमानुसार वर्तमान जांच को समाप्त करने का अनुरोध किया है।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

13. घरेलू उद्योग द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2021 के उनके पत्र के माध्यम से किए गए अनुरोध की जांच की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 16(1)(क) का पाठ निम्नानुसार है :

"निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करके इसी जांच को तत्काल समाप्त कर देंगे यदि- (क) उन्हें प्रभावित घरेलू उद्योग जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी, से या उनकी ओर से ऐसा करने के लिए लिखित अनुरोध प्राप्त होता है"

14. यह नोट किया जाता है कि नियम 16 में कतिपय स्थितियों में किसी सब्सिडीरोधी जांच को समाप्त करने का प्रावधान है, जिनमें ऐसी स्थिति शामिल है जहां प्रभावित घरेलू उद्योग जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी, द्वारा आवेदन वापस ले लिया जाता है। नियमवली के नियम 16(1) (क) में प्रावधान है कि "प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करके इसी जांच को तत्काल समाप्त कर देंगे यदि- उन्हें प्रभावित घरेलू उद्योग जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी, से या उनकी ओर से ऐसा करने के लिए लिखित अनुरोध प्राप्त होता है"

15. वर्तमान जांच घरेलू उद्योग बनाने वाले मै. मै. डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, मै. आरएसपीएल लिमिटेड और मै. जीएचसीएल लिमिटेड द्वारा दायर आवेदन के आधार पर शुरू की गई थी । प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 16 (1) (क) में प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी, से जांच की समाप्ति हेतु लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर जांच को समाप्त करना अपेक्षित है ।

ङ. <u>निष्कर्ष</u>

16. घरेलू उद्योग मै. डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, मै. आरएसपीएल लिमिटेड और मै. जीएचसीएल लिमिटेड द्वारा किए गए पूर्वोक्त अनुरोध को ध्यान में रखते हुए और नियमावली के नियम 16(1)(क) के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी तुर्की से सोडा ऐश के आयातों के विरूद्ध अधिसूचना सं. 6/38/2019- डीजीटीआर दिनांक 2 मार्च, 2020 के माध्यम से शुरू की गई जांच को एतद्वारा समाप्त करते हैं ।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

TERMINATION

New Delhi, the 27th January, 2021

Subject : Termination of Countervailing Duty Investigation concerning imports of "Soda Ash" originating in or exported from Turkey.

A. Introduction

F. No. 6/38/2019- DGTR.— 1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred as the "Rules"), thereof, M/s. DCW Limited, M/s RSPL Limited and M/s GHCL Limited (hereinafter also referred to as the "Applicant") filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") for initiation of anti-subsidy investigation and imposition of anti-subsidy duty on imports of "Soda Ash" (hereinafter referred as "product under consideration" or "subject goods") originating in or exported from Turkey (hereinafter referred as "subject country").

2. The Authority, based on prima facie evidence submitted by the applicants, issued a public notice vide notification No. 6/38/2019- DGTR dated 2nd March, 2020 published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Rule 6 to determine existence, degree and effect of the alleged subsidy and to recommend the amount of anti-subsidy/countervailing duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. Procedure

3. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-subsidy application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 6 supra.

4. The Authority invited the Government of Turkey for consultation with the aim of clarifying the situation and arriving at a mutually agreed solution in accordance with Article 13 of the Agreement on subsidies and countervailing measures. The consultation was held on 11th February, 2020 through Digital Video Conferencing, which was attended by the representatives of the Government of Turkey.

5. The Authority issued a public notice dated 2nd March, 2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating countervailing duty/anti-subsidy investigation concerning imports of the subject goods.

6. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 2nd March 2020 to the Embassy of subject country, known producers/exporters from subject country, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the Applicants and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

7. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of subject countries in India in accordance with Rule 7(3) of the Rules supra.

8. The Embassy of subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.

9. The Authority sent questionnaires to the Government of the subject country in order to seek relevant facts/information with regard to various schemes/programs where countervailable benefit might have been conferred by the Government.

10. In response to the initiation notification and intimation, the Government of Turkey, exporters/ producers from subject countries and importers/users responded to the Authority by filing Questionnaire Response.

11. The Authority held an oral hearing on 23.11.2020 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance with Rule 7 (6).

C. Request Received from the Domestic Industry

12. The petitioner through their letter dated 21st January, 2021, to the Designated Authority has stated withdrawal of their petition with the liberty to resubmit the same with new investigation period and has accordingly requested termination of the present investigation as per Rules.

D. Examination by the Authority

13. The request made by the domestic industry, vide its letter dated 21st January, 2021 has been examined. The Authority notes that Rule 16(1)(a) of the Rules reads as under:

The designated authority shall, by issue of a public notice terminate an investigation immediately if – (a) it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated;

14. It is noted that Rule 16 provides for termination of an anti-subsidy investigation in certain situations which includes a situation where the application is withdrawn by the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated. Rule l6(1)(a) of Rules provides that the Authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation if it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated.

15. The present investigation was initiated based on an application filed by M/s DCW Limited, M/s. RSPL Limited and M/s. GHCL Limited constituting the domestic industry. The Authority notes that Rule 16 (1) (a) of the Rules requires the Authority to terminate the investigation, once the domestic industry, at whose instance the investigation was initiated files a written request for termination of the investigation.

E. Conclusion

16. In view of the aforesaid request made by the domestic industry, M/s DCW Limited, M/s RSPL Limited and M/s. GHCL Limited and under the provisions of Rule l6 (1) (a) of the Rules, the Authority hereby terminates the investigation initiated vide notification No. 6/38/2019-DGTR on 2nd March, 2020 against the imports of 'Soda Ash" from Turkey.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.01.27 22:39:19 +05'30'